अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या–115/2013–14

मो0 सफीक बनाम राजेन्द्र सहनी वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक मो0 सफीक, अन्सारी, पिता– स्व0 मो0 जान अंसारी, ग्राम– बरही, थाना– केवटी के आवेदन दिनांक 09.05.2013 के आधार पर प्रारम्भ की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) राजेन्द्र सहनी (2) परीक्षण सहनी (3) दयाराम सहनी (4) सियाराम सहनी चारो पिता– अशर्फी सहनी (5) राजकुमार सहनी पे0– सीताराम सहनी एवं (6) लाल सहनी पे0– फकीरा सहनी सभी ग्राम– बरही– थाना– केवटी के निवासी है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा बरही में अवस्थित निम्न ब्योरे की भूमि है:–

खाता	खेसरा	रकवा
606 (नया)	383(पुराना)	01 कट्ठा 10 धुर
	1100(नया)	

आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रैकिंग मशीन सं0 3355 से दिनांक 09.05.2013 को जमा कर दाखिल किया जिसपर सुनते हुए वाद की प्रविष्टी की गई एवं विपक्षियों को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निबंधित सूचना दिनांक 24.05.2013 को निर्गत की गई, विपक्षीगण ने कार्रवाई में उपस्थित होकर दिनांक 12.06.2013 को लिखित बयान दाखिल किया जिसपर उभय पक्षों को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अनुशीलन तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक मो0 सफीक ने दिनांक 08.07.1998 को सोहन (सोभन) सहनी एवं तिवारी सहनी पेसरान– संतोखी सहनी ग्राम– खराज मर्दन टोला पोखर, थाना– केवटी से केवाला द्वारा प्राप्त किया है, जिसकी दाखिल खारिज कराकर आवेदक ने जमाबन्दी सं0– 18/484 अन्तर्गत वर्ष 2009–10 तक राजस्व भुगतान कर रसीद प्राप्त किया है।

यह भी विदित होता है कि आवेदक ने अपनी खरीदगी प्रश्नगत भूमि का नापी कराने हेतु अनुरोधावेदन दिनांक 21.05.2012 को अंचलाधिकारी, केवटी के समक्ष आवेदन दिया था जिसपर ज्ञापांक 601 दिनांक 01.06.2012 द्वारा अंचल अमीन को स्थल पर दिनांक 12.06.2012 को नापी करने हेतु आदेशित किया गया। अंचल

11/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अमीन ने स्थल पर दिनांक 12.06.2012 को जाकर प्रश्नगत भूमि की नापी आवेदक, अन्य उपस्थित लोगों एवं द्वितीय पक्ष के परीक्षण सहनी के समक्ष नापी कर चारो कोण पर ईंट गड़वा दिया गया जिसको उभय पक्षों ने स्वीकार किया एवं लिखित सहमति बनाई। अंचल अमीन ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 19.06.2012 को नजरी नक्शा के साथ पस्तुत किया। आवेदक ने प्रस्तुत वाद के माध्यम से आरोप लगाया है कि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि पर अमीन द्वारा सीमांकन के बावजूद चाहर दिवारी नहीं होने देते है। जबकि विपक्षीयों द्वारा दाखिल लिखित बयान के माध्यम से कहा गया है ज़बकि विपक्षियों को आवेदक के केवाला वाली प्रश्नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है। बल्कि आवेदक अपनी जमीन नापी कराकर उपने कब्जे में रखे हुए है। साथ हीं यह वाद आवेदक द्वारा विपक्षीयों को तंग–तबाह करने एवं न्यायालय के बहुमूल्य समय को नष्ट करने की नियत से लाया गया है। सुनने से विदित होता है कि विपक्षीयों को प्रश्नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है, अतएव आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद र्निविवादित होना विदित होता है। इसके बावजूद भी प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों को किसी भी प्रकार का अवरोध या चाहर दिवारी निर्माण में बाधा उत्पन्न करने से रोक लगाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रश्नगत भूमि पर आवेदक द्वारा चाहर दिवारी निर्माण अथवा उसके उपभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करने से विपक्षियों को प्रतिबंधित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद को निष्पादित किया जाता है। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष केवटी को सूचनार्थ भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 19/08/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 19/08/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	